अनन्तिम प्रकाशन

सूचना

उत्तराखण्ड़ शासन के शासनादेश संख्या–1601/XII(1)1/21–86(16)/2019–TC दिनांक 18 नवम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या–488(1)/XII(1)1/22–86(16)/2019–TC दिनांक 04 जुलाई, 2022 द्वारा संसूचित कार्यक्रम के क्रम में जनपद हरिद्वार में समस्त प्रमुख क्षेत्र पंचायत का त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु आरक्षण कार्यालय विज्ञप्ति संख्या–453 दिनांक 13 जुलाई, 2022 द्वारा किया गया।

उल्लेखनीय है कि स्थानीय निकायों में अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं पर पारित निर्णयों के आलोक में राज्य स्तर पर गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रथम प्रतिवेदन में आयोग द्वारा जनपद हरिद्वार में वर्ष 2022 के सामान्य निर्वाचन हेतु वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर अन्य पिछडा वर्ग के लिए प्रमुख क्षेत्र पंचायत के आरक्षण की संख्या की संस्तुति की गई है।

उत्तराखण्ड़ शासन के शासनादेश संख्या–637(1)/XII(1)/22–86(16)/2019–T.C दिनांक 16 अगस्त, 2022 के क्रम में उत्तराखण्ड के स्थानीय निकायवार अन्य पिछडा वर्ग के आरक्षण हेतु गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों व शासनादेश संख्या–638/XII(1)/22–86(16)/2019–T.C दिनांक 18 अगस्त, 2022 के अनुरूप कार्यालय विज्ञप्ति संख्या–453 दिनांक 13 जुलाई, 2022 द्वारा प्रमुख क्षेत्र पंचायत पदों के **अन्य पिछडा वर्ग हेतु** उक्त विज्ञप्ति द्वारा निर्धारित आरक्षण को एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों की सीमा तक निम्नवत् संशोधित किया जाता है।

अतः उत्तराखण्ड़ पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 55–क व धारा–56 एवं उत्तराखण्ड़ शासन के शासनादेश संख्या–1601/XII(1)1/21–86(16)/2019–TC दिनांक 18 नवम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या–488(1)/XII(1)1/22–86(16)/2019–TC दिनांक 04 जुलाई, 2022 के क्रम में जनपद हरिद्वार के क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों को जो स्तंभ 3 में उल्लेखित है, को उनके सम्मुख स्तंभ–4 में अंकित श्रेणी के लिए **अनन्तिम** रूप से आरक्षित किया जाता है।

जनपद का नाम	क0 सं0	क्षेत्र पंचायत (खण्ड) का नाम	आरक्षण श्रेणी
1	**2**	**3**	**4**
हरिद्वार	1	भगवानपुर	अनुसूचित जाति महिला
	2	लक्सर	अनुसूचित जाति
	3	बहादराबाद	पिछडी जाति महिला
	4	नारसन	महिला
	5	रूड़की	अनारक्षित
	6	खानपुर	अनारक्षित

दिनॉकः–20/08/2022

जिला पंचायतराज अधिकारी,
हरिद्वार।

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।